3

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वाद अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 204/2025

जसवीर सिंह सिंह पुत्र श्री मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादी

बनाम्

1 छिन्द्रपाल कौर पत्नी स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

2 किरण कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 जमुना कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 दमन कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 मंगत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 इन्द्रजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 शिवराज सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 अमनदीप पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10 मुख्त्यार कौर पत्नी स्व. गुरदीप सिंह जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

11 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री मनोज अरोड़ा – अधिवक्ता वादी

2 श्री कुणाल छापड़ा – वकील प्रतिवादी सं. 6 ता 9, 10

3 एकपक्षीय कार्यवाही – प्रतिवादी सं. 1 ता 5

4 राज पैरोकार – प्रतिवादी सं. 11

-:निर्णयः-

दिनांक 03.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध व प्रमाणिक पता शीर्षक वाद मे दर्जानुसार है। यह कि वाद पत्र की नुईयत को समझने हेतू वादी व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद में अंकितानुसार है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण की ा/सास/नानी/नानी सास के नाम से वाका चक 7 एसएनएम पटवार हल्का श्रीनगर तहसील व जिला ानगढ़ व वाका चक नं. 4 एसएनएम पटवार हल्का श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ मे कृषिभूमि है। जिसकी तफसील निम्न है :-

चक 7 एसएनएम पटवार हल्का श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

ा सं. 59/61 प.नं.102/283 (54) कि.नं. 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 तादादी 0.506 हैक्टेयर 74-77 कुल तादादी 4 किता यानि 0.506 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर मुम. रास्ता

चक 4 एसएनएम पटवार हल्का श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

ा सं. 42/34 प.नं. 103/283 (41) कि.नं. 1/2, 2/1, 9/1, 10/1 तादादी 0.468 हैक्टेयर 77-80 कुल तादादी 4 किता यानि 0.468 हैक्टर नहरी। प्रति जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादी की नानी प्रसन्न कौर व वादी की माता मलकीत कौर के नाम से आराजी राजस्व ार्ड मे संयुक्त रूप से दर्ज है। वादी की नानी प्रसन्न कौर व माता मलकीत कौर का स्वर्गवास हो चुका वादी के भाई जोगेन्द्र सिंह व गुरमेल सिंह व मामा गुरदीप सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 स्व. जोगेन्द्र सिंह के वारिसान व प्रतिवादीगण सं. 6 ता 9 स्व. गुरमेल सिंह के वारिसान है ा प्रतिवादिया सं. 10 वादी के मामा गुरदीप सिंह की पत्नी है। वाद पत्र मे वर्णित आराजी वादी व तिवादीगण की जददी जायदाद है। उपरोक्त आराजी जददी जायदाद होने के नाते वादी का जन्म से ही हक स्सा बनता है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा पूर्व क बंटवारा हुआ था। जिसमे वादिया सं. 10 ने अपने हक हिस्सा की आराजी को वादी व वादी के ईयो जोगेन्द्र सिंह, गुरमेल सिंह के मध्य बहिस्सा बराबर त्याग कर दिया था और अपने हक हिस्सा से तवरदार हो गयी थी, तत्पश्चात वादी व प्रतिवादीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी का घरू बंटवारा हुआ समे वादी व प्रतिवादीगण को निम्नलिखित कृषिभूमि प्राप्त हुई थीः-

- वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-

क 4 एसएनएम प.नं. 103/283 (41) कि.नं. 1/2(.164), 2/1/(.126), 10/2/(.010) कुल तादादी .300 हैक्टर नहरी।

- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :- चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 54) कि.नं. 9/1/(.126), 10/2/(.041), 15/1/(.130) 15/2/(.038) कुल तादादी 0.335 हैक्टर नाली थम मय गैर मुम. रास्ता।

- प्रतिवादीगण सं. 6 ता 9 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :- चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 54) कि.नं. 6/1/(.215), 6/2/(.038), 15/1/(.085) कुल तादादी 0.338 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर ुम. रास्ता।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त घरू विभाजनानुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे । लेकिन राजस्व रिकार्ड मे वादी की माता व नानी का नाम दर्ज होने से वादी आराजी की तमाम हूलियतो को प्राप्त करने मे महरूम हो रहा है, इसलिए वादी को इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करनी आवश्यक हो चुकी है कि वादी वाद पत्र की चरण सं. 3 मे दर्ज आराजी का घरू विभाजनानुसार चरण सं. 5 के मुताबिक चक 4 एसएनएम पं.न. 103/283 मु.न. 41 कि.न. 1/2/.164, 2/1/.126, 10/2/.010 तादादी 0.300 हैक्टर नहरी का खातेदार है तथा उक्त खातो से वादी की नानी प्रसन्न कौर व माता मलकीत कौर का नाम कलमजन किया जावे।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व कहा कि वाद पत्र की चरण सं-3 मे वर्णित आराजी का चरण सं-6 के मुताबिक विभाजन करवा ले परन्तु वे कतई इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखास्मत दावा है। यह कि प्रतवादी सं-9 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

क- कि घोषणात्मक आप्ति इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादी वाद पत्र की चरण सं. 3 में आराजी का घरू विभाजनानुसार चरण सं. 5 के मुताबिक चक 4 एसएनएम पं.न. 103/283 मु. 41 कि.नं. 1/2/.164, 2/1/.126, 10/2/.010 तादादी 0.300 हैक्टर नहरी का खातेदार है तथा खाता से वादी की नानी प्रसन्न कौर व माता मलकीत कौर का नाम कलमजन किया जावे।

ख- कि उपरोक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे।

ग- कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ- कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे दिलाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 6 10 की ओर से अधिवक्ता कुणाल छापड़ा उपस्थित व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 ता 9 ने दावा में नामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 10 द्वारा जवाब इकबाल किया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 10 द्वारा जवाब पत्र 09 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया जिस पर वकील वादी ने No Objection किया। जवाब पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 10 द्वारा जवाब मय इकबाल पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। मनन किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई। पत्रावली का अलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। वाद मुताबिक सहमति से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- **क- वादी को घरू बंटवारा मे आराजी :-** चक 4 एसएनएम प.नं. 103/283 (41) कि.नं. 1/2(.164), 2/1/(.126), 10/2/(.010) कुल तादादी 0.300 हैक्टर नहरी। **ख- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी** चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 (54) कि.नं. 9/1/(.126), 10/2/(.041), 15/1/(.130) 15/2/(.038) कुल तादादी 0.335 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर मुम. रास्ता। **ग- प्रतिवादीगण सं. 6 ता 9 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी** :- चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 (54) कि.नं. 6/1/(.215), 6/2/(.038), 15/1/(.085) कुल तादादी 0.338 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर मुम. रास्ता। इसी अनुसार इसी मुसार खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

6

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

ीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

संख्या:- 204/2025

जसवीर सिंह सिंह पुत्र श्री मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। -:वादी

बनाम

1 छिन्द्रपाल कौर पत्नी स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

2 किरण कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 जमुना कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 दमन कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 मंगत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा(हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 इन्द्रजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 शिवराज सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 अमनदीप पुत्र श्री गुरमेल सिंह पुत्र मलकीत कौर अकवाम चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10 मुख्त्यार कौर पत्नी स्व. गुरदीप सिंह जाति चुहड़ा (हरिजन) निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

11 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। **-:तरतीबी प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मारे बहाजरी श्री मनोज अरोड़ा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुणाल छाबडा वकील प्रतिवादी सं. 6 ता , 10 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री ी जाती है कि:- **क- वादी को घरू बंट्वारा मे प्राप्त आराजी** :- चक 4 एसएनएम प.नं. 103/283 (41) कि.नं. 1/2(.164), 2/1/(.126), 10/2/(.010) कुल तादादी 0.300 हैक्टर नहरी। **ख- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को घरू बंट्वारा मे प्राप्त आराजी** :- चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 (54) कि.नं. 9/1/(.126), 10/2/(.041), 15/1/(.130) 15/2/(.038) कुल तादादी 0.335 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर मुम. रास्ता। **ग- प्रतिवादीगण सं. 6 ता 9 को घरू बंट्वारा मे प्राप्त आराजी** :- चक 7 एसएनएम प.नं. 102/283 (54) कि.नं. 6/1/(.215), 6/2/(.038), 15/1/(.085) कुल तादादी 0.338 हैक्टर नाली प्रथम मय गैर मुम. रास्ता। इसी अनुसार इसी अनुसार खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायम किया जाता है।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि न हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीसरकार आदि) पूर्वानुसार रखी जावे।।

xxx मय xxx मुद्दिअलेह xxx मिस xxx बाबत xxx मिस xxx खर्चा मुकदमें के मय सूद ता शरह सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक xxx अदा करें।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.02.2026 को जारी किया गया।

रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़